संख्या-28/2026/I/1224807/30-3-2026-1774083

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 03 फरवरी, 2026

विषय :- उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण हेतु किराये पर लिये गये उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ के भवन में स्थित कार्यालय हेतु वार्षिक किराये के रूप में दी जाने वाली धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-जी-33ए/2026-56ए/2026, दिनांक 28 जनवरी, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कतिपय प्रस्तावों के साथ ही उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण हेतु किराये पर लिये गये उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ के भवन में स्थित कार्यालय हेतु वार्षिक किराये के रूप में दी जाने वाली धनराशि रू0 रू0 99,68,184.00/- (रुपया निन्यानबे लाख अड़सठ हजार एक सौ चौरासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण हेतु किराये पर लिये गये उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ के भवन में स्थित कार्यालय हेतु वार्षिक किराये के रूप में दी जाने वाली धनराशि रू0 रू0 99,68,184.00/- (रुपया निन्यानबे लाख अड़सठ हजार एक सौ चौरासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-07-उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख में से निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसकी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(3) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-28/2026/I/1224807(1)/30-3-2026, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।

5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9

6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(नितिन कुमार गुप्त)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।